

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :- रोकोठ

उपनवान

बनाम

हरिदेव

पारीगण

श्री लोठे काश

श्री वैवादीगण

दावा बाबत :- 211/188 रोकोठ/10/अप्री/17

प्रकरण संख्या 140/17

निर्णय दिनांक 05/6/17

वादी की ओर से वकीलवादी की व प्रतिवादी की ओर से 3000 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05/6/2017 को श्री हरी चन्द भाग (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- 3000 140/10 905 काकाशु रोकोठ

वही काकाशु काकाशु के वाकत श्री पारीगण, श्री हरी चन्द भाग से लदेव-सदेव के लिए वाकत किया जा रहा है कि वे उपरोक्त विवादित ज़ात में वादीगण के वचन का शत प्रतिशत आता है कि उपरोक्त उपरोक्त के फीस भी उपरोक्त मुजाहमन देदा नहीं करे। वाकत रहे एवं उपरोक्त विवादित ज़ात की डोल फीस मिताए नहीं करे। वादशी के पक्षा डिक्री एवं निर्णय का कठिना कर रहेगा।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05/6/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्री हरी चन्द भाग)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	NIL	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	NIL
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. रूपये पर प्लोडर की फीस	
4. रूपये पर प्लोडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस		6. आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामील			
योग		योग	